Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006

Web: www.kanpuruniversity.org

OFF.
V.C. : 2581280
REGI.: 2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर–208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सा.प्रशा. / 4796 / 2021

दिनांक : 15/04/ 2021

सेवा में,

1. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय–छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. **समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी,**
   सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर।

विषय :– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने के सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1064 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 15 अप्रैल, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने के सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में है।

उक्त शासन के पत्र द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राज्य स्थित विश्वविद्यालयों / निजी विश्वविद्यालयों / शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं, सेमेस्टर / प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखा जाये तथा पाठ्यक्रम से संबंधित कक्षायें / शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित जाये। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्रओं की उपस्थित नहीं होगी।

विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में कार्यरत समूह "ख, "ग" एवं "घ' के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति साप्ताहिक रोस्टर (अल्टरनेट) के अनुसार होगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेगें।

अतः उक्त निर्देशों का कडाई से अनुलपान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

डॉ0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. डीन, एकेडमिक्स, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, वार्डेन, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिंन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1064 /सत्तर–3–2021–08(20)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनाँक 15 अप्रैल, 2021**

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–955/सत्तर–3–2021–08 (20)/2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राज्य स्थित विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखा जाये।

(2) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेगें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

(3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति/प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत समूह–"ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेगें।

2– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

संख्या– 1064 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।